राजेश बनाम श्रीराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के दादा रिछपाल की खातेदारी भूमि अमरपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर में स्थित थी जिसे प्रार्थी का पिता व दादा काश्त करते थे। प्रार्थी के दादा की उक्त अमरपुरा की भूमि की उपज व आय से तथा उक्त भूमि के कय करने की आय से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने मिलकर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम हिन्दू परिवार का कर्ता होने के नाते सभी की सहमति से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करवाई थी। इस प्रकार दादा के नाम की भूमि को बेचान कर एवं उस भूमि की आय से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है इसलिये वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा है। जिसे प्रार्थी घोषित करवाने का अधिकारी है एवं अप्रार्थी के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने नजीर हुसैन, जान मोहम्मद पि. उसमान खां, जना, मुनीरा पुत्रीयां उस्मान जाति मुसलमान निवासी लखुवाली से दिनांक 19.07.1994 को खरीद की थी। जो अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है। जिस पर किसी भी पक्षकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने घरेलू जरूरत व कर्ज अदायगी के लिये अपने पुत्र पुत्रीयों की सहमति से अप्रार्थी सं. 7 ता 10 को विकय कर दी है। अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिये प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन एवं वकुलाए फरिकैन की बहस आदि से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा सम्पति है जो उसकी स्वअर्जित सम्पति है। अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिन्हे अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार है। इसलिये दिनांक 01.01.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश आज दिनांक 25.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sanjay Kumar Date: 2024.05.09 14:49:00 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Scanned with OKEN Scanner